प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 42/2023)

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने टीसीसीसीपीआर-2018 के तहत मैसेज टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश जारी किए

नई दिल्ली, 12 मई 2023 - अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) जनता के लिए असुविधा का एक प्रमुख स्रोत है और व्यक्तियों की गोपनीयता पर अतिक्रमण करता है और भादूविप्रा इसे रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है। आज भादूविप्रा ने दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) के तहत मैसेज टेंपलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्देश जारी किया है। यह हेडर और मैसेज टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए 16 फरवरी, 2023 के अपने पहले के निर्देश के क्रम में है।

2. भादूविप्रा ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि कंटेंट में तीन से अधिक परिवर्तनशील भागों (वेरीएबल पार्ट) के उपयोग की अनुमति केवल उचित औचित्य और अतिरिक्त जांच के साथ दी जाएगी। भादूविप्रा ने अनिवार्य किया है कि एक्सेस प्रदाताओं को ऐसे कंटेंट टेम्प्लेट के लिए एक अलग अनुमोदन प्राधिकारी नामित करना होगा। प्रत्येक परिवर्तनशील भाग को उस उद्देश्य के लिए पूर्व-टैग करने की आवश्यकता है जिसका उपयोग करने का प्रस्ताव है और कंटेन्ट टेंपलेट में न्यूनतम तीस प्रतिशत निश्चित वर्ण (फिक्स्ड कंटेन्ट) होंगे। ताकि मूल संदेश की मंशा, जिसके लिए कंटेंट टेम्पलेट स्वीकृत किया गया था, बिचौलियों द्वारा नहीं बदला जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि कंटेंट टेम्पलेट में केवल श्वेतसूची वाले यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक/कॉल बैक नंबरों की अनुमति दी जाएगी।

3. सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे उपरोक्त निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट पैंतालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

4. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री जयपाल सिंह तोमर, सलाहकार (क्यूओएस), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर 011-23230404 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह०/-

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा